



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार 5 अक्टूबर, 2021

आश्विन 13, 1943 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन

आबकारी अनुभाग-2

संख्या 2036 ई-2/तेरह-2021-254-83

लखनऊ, 5 अक्टूबर, 2021

अधिसूचना

सा०प०नि०-69

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1964) की धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और समय-समय पर यथासंशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या 3442 ई-2/तेरह-254-83, दिनांक 31 अक्टूबर, 1998 का आंशिक उपान्तरण करके और अन्ततः अधिसूचना संख्या 2384 ई-2/तेरह-2013-254-83, दिनांक 22 अक्टूबर, 2013 द्वारा राज्यपाल अधिसूचित करती हैं कि दिनांक 1 नवम्बर, 2020 से, चीनी कारखाना का अध्यासी, अपने द्वारा राज्य में विक्रीत/सम्भरित (आबद्ध खपत हेतु अन्तरित/सम्भरित शीरे को छोड़कर) किये गये तथा राज्य के बाहर आयात एवं निर्यात के प्रयोजनों से किसी श्रेणी के शीरे पर निम्नलिखित दरों से राज्य सरकार को प्रशासनिक प्रभारों का भुगतान करने के लिए दायी होगा:-

(एक) राज्य के भीतर विक्रीत/सम्भरित (आबद्ध खपत हेतु अन्तरित/सम्भरित शीरे को छोड़कर) किये गये किसी श्रेणी के शीरे पर

20.00 रूपये (बीस रूपये) प्रति कुन्तल की दर से।

(दो)	देश के अन्य राज्यों से प्रदेश में आयात किये जाने वाले किसी श्रेणी के शीरे पर	15.00 रुपये (पन्द्रह रुपये) प्रति कुन्तल की दर से।
(तीन)	ऐसे अन्य मामलों में, जो खण्ड (एक) तथा (दो) में आच्छादित न हो	30.00 रुपये (तीस रुपये) प्रति कुन्तल की दर से।

आज्ञा से,
संजय आर० भूसरेड्डी,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of the Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2036 E-2/XIII-2021-254-83, Dated: October 5, 2021.

No. 2036 E-2/XIII-2021-254-83

Dated Lucknow, October 5, 2021

IN exercise of the powers, under sub-section (4) of Section 8 of the Uttar Pradesh Sheera Niyantaran Adhiniyam, 1964 (U.P. Act no. XXIV of 1964) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P Act no. 1 of 1904) and in partial modification of Government Notification no. 3442E-2/XIII-2005-254/83, Dated October 31, 1998 as amended from time to time and lastly by notification no. 2384E-2/XIII-2013-254-83, Dated October 22, 2013, the Governor is pleased to notify that with effect from November 1, 2020, the occupier of the sugar factory shall be liable to pay administrative charges to the State Government at the following rates on the molasses of any category sold/supply (except molasses transfer/supplied for captive consumption) by him within the State and for the purpose of Export and Import.

- | | | |
|-----|---|---------------------------------------|
| (1) | Molasses of any category sold/supply (except molasses transfer/supplied for captive consumption) within the State | @Rs 20.00(Rupees Twenty) per Quintal |
| (2) | Molasses of any category to be imported within the State from any other State of the Country | @Rs 15.00(Rupees Fifteen) per Quintal |
| (3) | In other cases, not covered in clauses (One) and (Two) | @Rs 30.00(Rupees Thirty) per Quintal |

By order,
SANJAY R. BHOOSREDDY,
Apar Mukhya Sachiv.